

- 1 समस्त जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश।
- 2 समस्त अपर आयुक्त ग्रेड-2, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 3 अपर निदेशक (प्रशिक्षण) राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।
- 4 समस्त संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- 5 समस्त उपायुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश।
- 6 समस्त सहायक आयुक्त, राज्य कर उत्तर प्रदेश।
- 7 समस्त राज्य कर अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कृपया वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक प्रविष्टियों को अपलोड करने हेतु जारी मुख्यालय के परिपत्र संख्या-ई0आई0एम0एस0/2023-24//400/वाणिज्य कर दिनांक 26.04.2023 का सदर्थ ग्रहण करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु कर्मचारियों को 15 मई तक वार्षिक प्रविष्टि ऑनलाइन अपलोड करना था तथा प्रतिवेदक को 31 जुलाई एवं स्वीकर्ता को 31 अगस्त तक अपना मन्तव्य ऑनलाइन अंकित करना था।

तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टि शत-प्रतिशत पूर्ण अपलोड करने हेतु अपर आयुक्त(प्रशासन) राज्य कर उत्तर प्रदेश से अनुमोदन प्राप्त कर कर्मचारियों के लिये ई0आई0एम0एस0 पोर्टल पर वार्षिक प्रविष्टियों को अपलोड करने हेतु निर्धारित तिथि में दो बार संशोधन कर अंतिम तिथि 31.07.2023 निर्धारित की गई थी।

उत्तर प्रदेश राज्य कर मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन, उ0प्र0 के पत्र संख्या- 72 दिनांक 07.08.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रविष्टि फीड किये जाने जैसी नयी प्रक्रिया को समझने एवं ऑनलाइन फीडिंग की जानकारी न होने के कारण कई कर्मचारियों द्वारा निर्धारित समयावधि में विभागीय पोर्टल पर ई0आई0एस0 माड्यूल में प्रविष्टि फीड नहीं कर पाये है और कुछ कर्मचारियों की फीडिंग में गलती हो जाने के कारण पुनः नये सिरे से फीड कराये जाने की आवश्यकता है। संघ द्वारा ऑनलाइन वार्षिक प्रविष्टि फीड किये जाने हेतु 15 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त किये गये अनुरोध के क्रम में अपर आयुक्त(प्रशासन)राज्य कर उत्तर प्रदेश द्वारा अंतिम अवसर प्रदान करते हुये, कर्मचारियों के लिये वार्षिक प्रविष्टि अपलोड करने तथा प्रतिवेदक एवं स्वीकर्ता अधिकारी को मन्तव्य अंकित करने की तिथियों को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है।

क्रम सं०	कर्मचारियों द्वारा वार्षिक प्रविष्टि 2022-23 को अपलोड किये जाने की अंतिम तिथि	प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकित करने की अंतिम तिथि	स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा मन्तव्य अंकित करने की अंतिम तिथि
1.	31.08.2023	15.09.2023	30.09.2023

अतः उपरोक्त समय-सारिणी का अनुपालन समयान्तर्गत करना सुनिश्चित करें।

(ओम प्रकाश वर्मा)

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 1 आयुक्त, कैम्प कार्यालय का सूचनार्थ प्रेषित।
- 2 समस्त अपर आयुक्त, राज्य कर मुख्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3 समस्त अनुभाग अधिकारी, राज्य कर मुख्यालय।
- 4 संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को उक्त परिपत्र की प्रति विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने एवं उपरोक्त तिथियों के अनुसार पोर्टल को खोलने का कष्ट करें।
- 5 स्थापना अराजपत्रित चरित्र पंजिका अनुभाग, मुख्यालय।
- 6 उत्तर प्रदेश राज्य कर मिनिस्टीरियल स्टाफ एसोसिएशन, उ0प्र0 को पत्र संख्या-72 दिनांक-07.08.2023

को इस आशय से प्रेषित कि कर्मचारियों को अंतिम अवसर प्रदान करते हुये, कर्मचारियों की शत-प्रतिशत ऑनलाइन वार्षिक प्रविष्टि को अपलोड करवाना सुनिश्चित करें।

11/08/2023  
(दिनेश कुमार वर्मा)

संयुक्त आयुक्त (स्थापना अराजपत्रित) राज्य कर  
मुख्यालय, लखनऊ।